उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **204/2022** **अन्तर्गत धारा 251A RT Act.**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. टीकमाराम पुत्र जोधाराम 2. धूड़ीदेवी पत्नी टीकमाराम जाति जाट, निवासी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. भारूराम पुत्र बालाराम 2. अमराराम पुत्र भींयाराम 3. गंवरीदेवी पत्नी भींयाराम फौत के कायम मुकाम 3.1 पप्पुदेवी पुत्री भींयाराम पत्नी दुर्गाराम जाति जाट, निवासी बलाड़ तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर 3.2 विप्रार्थी संख्या 2 (अमराराम पुत्र भींयाराम) 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 5. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा उण्डू

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 – बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 12.06.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 934/782 रकबा 4.5648 हैक्टेयर मौजा राजबेरा, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खेत खसरा नम्बर 953/784, 784, 785 रकबा क्रमशः 3.2860, 3.2860, 1.1979 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जान तथा बच्चों के विद्यालय जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जब विप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में चारों ओर काश्त कर लेने से प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी में जाने हेतु अवरोध एवं बाधा उत्पन्न होती है। तब प्रार्थीगण को रास्ता कटाण करवाने की आवश्यकता हुई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता शिव से फलसुण्ड जाने वाली डामर सड़क से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से स्वयं व अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार अपने खसरा नम्बर 953/784 रकबा 3.2860 हैक्टेयर में से 0.09712 हैक्टेयर भूमि बिना प्रतिफल राशि लिये रास्ता कटाण हेतु सहमति प्रदान करते हुए राजीनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के कायम मुकाम व विप्रार्थी संख्या 5 की भूमि उक्त रास्ता कटाण में नहीं जाने से औपचारिक पक्षकार होने एवं बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित सभी पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है, जिसमें रास्ते हेतु खसरा नम्बर 953/784 में से रकबा 0.09712 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 785 में से रकबा 0.0242 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की लम्बाई 100 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा है। जिस पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की। उक्त रास्ता कटाण बाबत् तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर) [redacted]

संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में प्रस्तावित नवीन रास्ता बाबत् उभयपक्ष द्वारा राजीनामा पेश करते हुए सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें।

विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा मुताबिक रास्ता कटाण हेतु सहमति प्रदान कर रास्ता कटाण बाबत् निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 953/784 व 785 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जिसमें खसरा नम्बर 785 सरकारी खसरा है तथा खसरा नम्बर 953/784 का खातेदार विप्रार्थी संख्या 1 है। चूंकि आवेदन पत्र में खसरा नम्बर 953/784, 784 व 785 में से नवीन रास्ते हेतु अनुतोष चाहा गया है, जबकि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पक्षकारान् के मध्य राजीनामा में खसरा नम्बर 953/784 व 785 में से ही रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उभयपक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। खसरा नम्बर 953/784 के खातेदार व प्रार्थीगण के मध्य रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि बाबत् आपसी सहमति होने पर बिना प्रतिफल राशि लिये भूमि देने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी खसरा नम्बर 953/784 व 785 में चलायमान रास्ता होने तथा आपसी सहमति होने के कारण मुताबिक राजीनामा एवं तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 934/782 रकबा 4.5648 हैक्टेयर मौजा राजबेरा, पटवार मण्डल राजबेरा तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्राथी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 953/784 रकंबा 3.2860 हैक्टेयर में से 0.09712 हैक्टेयर भूमि का आपसी सहमति होने पर बिना प्रतिफल राशि लिये तथा राजकीय खसरा नम्बर 785 रकबा 1.1979 हैक्टेयर में से 0.0242 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 12.06.2023 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)